झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 02 चैत्र, 1943 (श0) / 23 मार्च ,2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
720.	स0– 33	डॉ0 इरफान अंसारी	उर्दू शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कू0शि0 एवं सा0	25/02/2021
721.	प्र0–03	श्री विरंची नारायण	स्पोर्टस कम्पलेक्स बनाना।	पर्य0 सं0क्षे0 एवं यु0 का0	17/02/2021
722.	स0– 58	श्री अमित कुमार मंडल	शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करना।	स्कू0शि0 एवं सा0	12/03/2021
723.	उ0–31	श्री भूषण बाड़ा	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना।	उ0 एवं त0 शि0	13/03/2021
724.	स0– 45	श्री रामचन्द्र सिंह	संबद्धता प्रदान करना।	स्कू0शि0 एवं सा0	03/03/2021
725.	प्र0–41	श्री कमलेश कुमार सिंह	पर्यटक स्थल को रूप में विकसित करना।	पर्य0 सं0क्षे0 एवं यु0का0	13/03/2021
726.	प्र0–42	श्री भूषण बाड़ा	पर्यटक स्थल विकसित करना।	पर्य0 सं0क्षे0 एवं यु0 का0	13/03/2021
727.	ख0–10	श्री भानु प्रताप शाही	अवैध बालू कराना।	खान एवं भूतत्व	24/02/2021
728.	उ0–07	श्रीमती ममता देवी	कानूनी कार्रवाई करना।	उद्योग	03/03/2021

(उद्योग विभाग के ज्ञापांक– 293, दिनांक– 15/03/21 द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को स्थानांतरित)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
729.	स०- 49	श्री मथुरा प्रसाद महतो	दैनिक कर्मियों को समान सुविधा।	स्कू०शि० एवं सा०	08/03/2021
730.	स०- 52	श्री अमित कुमार मंडल	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	स्कू०शि० एवं सा०	08/03/2021
731.	उत्त०-30	श्री नलिन सोरेन	वसूली एवं अन्यत्र स्थानान्तरित करना।	उ० एवं त० शि०	12/03/2021
732.	उत्त०-20	श्रीमती सीता सोरेन	काली सूची में डालना।	उच्च०एवं त० शि०	24/02/2021
733.	ख०-31	श्री कमलेश कुमार सिंह	विधि सम्मत कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	13/03/2021
734.	वन०-21	डॉ० इरफान अंसारी	दोषियों पर कार्रवाई।	व० प० एवं ज०परि०	25/02/2021
735.	स०- 36	डॉ० लम्बोदर महतो	शिक्षकों का पदस्थापन	स्कू०शि० एवं सा०	27/02/2021
736.	ख०-15	श्री केदार हजरा	बालू घाट की निलामी	खान एवं भूतत्व	25/02/2021
737.	ख०-32	श्री बैद्यनाथ राम	माईन्स चालू करना।	खान एंव भूतत्व	15/03/2021
738.	ख०-14	श्री केदार हजरा	गिरिडीह में बालू घाटों की निलामी।	खान एवं भूतत्व	24/02/2021
739.	वन०-25	श्री उमाशंकर अकेला	लकड़ियों की कटाई पर रोक।	व० प० एवं ज०परि०	12/03/2021
740.	स०- 56	श्री दशरथ गागराई	वरीय वेतनमान देना।	स्कू०शि० एवं सा०	12/03/2021
741.	स०- 57	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	शौचालय एवं चाहरदिवारी का निर्माण।	स्कू०शि० एवं सा०	12/03/2021
742.	तम०-39	श्री नलिन सोरेन	दर्शनीय स्थल का विकास।	पर्य०क०सं० खे०कू०एवं यु०का०	12/03/2021
743.	ख०-25	सुश्री अम्बा प्रसाद	उचित रख-रखाव करना।	खान एवं भूतत्व	03/03/2021

(खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक- 629, दिनांक- 05/03/21 द्वारा उद्योग विभाग को स्थानांतरित)

(उद्योग विभाग के ज्ञापांक-325 दि०-19.03.21 द्वारा पर्य० कला सं० खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को स्थानान्तरित)

744.	ख०-29	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	वासरी निर्माण पर रोक।	खान एवं भूतत्व	08/03/2021

(खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक- 691, दिनांक- 09/03/21 द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थानांतरित)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
745.	ख0-03	श्री विनोद कुमार सिंह	परेशानी हल करना।	खान एवं भूतत्व	25/02/2021
746.	दु0-43	श्री लोबिन हेम्ब्रम	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	15/03/2021
747.	स0- 13	श्री मनीष जायसवाल	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्कू0शि0 एवं सा0	24/02/2021
748.	उ0- 05	श्रीमती सीता सोरेन	नीति बनाना।	उद्योग	24/02/2021
749.	स0- 60	श्रीमती पुष्पा देवी	उच्च विद्यालय को +2 में अपग्रेड करना।	स्कू0शि0 एवं सा0	12/03/2021
750.	दु0-40	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	12/03/2021
751.	स0- 41	श्री नारायण दास	सेवानिवृत्ति लाभ दिलाना।	स्कू0शि0 एवं सा0	27/02/2021
752.	स0- 59	श्री सोनाराम सिंकू	उड़िया भाषा की पढ़ाई चालू कराना।	स्कू0शि0 एवं सा0	12/03/2021
753.	उ0- 08	श्री राजेश कच्छप	रोजगार का सृजन।	उद्योग	08/03/2021
754.	स0- 54	श्री समीर कुमार मोहन्ती	शिक्षक एवं पुस्तक उपलब्ध कराना।	स्कू0शि0 एवं सा0	08/03/2021

राँची
दिनांक- 23 मार्च, 2021(ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप- संख्या- झा0वि0स0 प्रश्न- 03/2020......1465......../वि0स0, राँची, दिनांक- 19/03/21

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेश राजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 03/2020......1465......../वि0स0, राँची, दिनांक- 19/03/21

प्रति :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव(प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न) को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 03/2020......1465......../वि0स0, राँची, दिनांक- 19/02/21

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

720

666
22/03/2021

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–33

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अंतर्गत दुमका जिला हाई स्कूल एवं प्लस टू नेशनल हाई स्कूल, जामताड़ा जिला अन्तर्गत बुधुडीह हाई स्कूल एवं कर्माटांड हाई स्कूल और देवघर जिला अन्तर्गत मधुपुर के पथरोल हाई स्कूल में उर्दू शिक्षक नहीं रहने के कारण उर्दू पढ़ने वाले छात्र–छात्राएँ उर्दू की पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं,</td><td>अस्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नांकित विद्यालयों में उर्दू विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का स्वीकृत, कार्यरत पद एवं विद्यालय में उर्दू विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>जिला का नाम</th><th>विद्यालय का नाम</th><th>उर्दू शिक्षक का स्वीकृत पद</th><th>कार्यरत उर्दू शिक्षक</th><th>उर्दू विषय के विद्यार्थियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>दुमका</td><td>+2 जिला स्कूल, दुमका</td><td>01</td><td>01</td><td>32</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>+2 नेशनल उ0वि0, दुमका</td><td>01</td><td>01</td><td>22</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जामताड़ा</td><td>राजकीय उ0वि0 शहरी क्षेत्र बुधुडीह</td><td>0</td><td>0</td><td>29</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>गुलाब राय गुटगुटिया +2 विद्यालय करमाटांड</td><td>01</td><td>01</td><td>102</td></tr>
<tr><td>3</td><td>देवघर</td><td>राजकीयकृत +2 विद्यालय पथरौल, कर्रौ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
जामताड़ा के राजकीय उ0वि0 शहरी क्षेत्र बुधुडीह में ऐच्छिक विषयों में केवल संस्कृत एवं संथाली का पद स्वीकृत है, इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की पढ़ाई नहीं होने की सूचना नामांकन के समय सभी छात्रों को दी जाती है। चूँकि राजकीय उ0वि0 शहरी क्षेत्र बुधुडीह, जामताड़ा में उर्दू विषय का पद स्वीकृत नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी विद्यालयों में उर्दू शिक्षक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपर्युक्त कंडिका–1 में सन्निहित है।</td></tr>
</table>

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–25/2021 666 रॉंची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

721

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक– 23.03.2021 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–03 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री बिरंची नारायण, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारो के सैक्टर–2 के निकट निर्माणाधीन सूर्य सरोवर एवं तिरंगा पार्क के बगल में करीब 2.5 एकड़ सरकारी जमीन खाली पड़ी है;	अस्वीकारात्मक। यह भूमि बी०ए०स०ए०ल०, बोकारो द्वारा अधिग्रहित है।
2	क्या यह बात सही है, कि बोकारो में युवाओं हेतु अत्याधुनिक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अभाव है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में कंडिका–1 में वर्णित भूमि पर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार रखती है, जिसमें इण्डोर बैडमिन्टन कोर्ट, लॉन टेनिस, स्वीमिंग पूल, बॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, आर्चरी एवं जिम इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर स्टेडियम निर्माण कराया जाता है। उपायुक्त, बोकारो से सरकारी भूमि विवरणी प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता अनुसार बोकारो में इण्डोर स्टेडियम निर्माण पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–08/2021 588 / राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–61/वि०स० दिनांक 17.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/3/21
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

722

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

567

22.03.21

श्री अमित कुमार मंडल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-58

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री निथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् निजी विद्यालयों में अभिवांछित कमजोर वर्ग बच्चों की शिक्षा के लिए 25% प्रतिशत आरक्षण निःशुल्क शिक्षा हेतु किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला प्रशासन के पास वैसे स्कूल जिन्हें खण्ड-एक के आलोक में दाखिला लेना है कि सूची उपलब्ध नहीं है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त गोड्डा के पत्रांक 1032/जो. दिनांक 19.12.2020 के द्वारा गोड्डा जिला के कुल 4 मान्यता प्राप्त एवं 105 गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् प्रारंभिक कक्षाओं में 25% प्रतिशत सीटों पर कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु निदेश जारी किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण गोड्डा जिलान्तर्गत तमाम निजी स्कूल जिन्हें अभिवांछित बच्चों का दाखिला लेना है, वैसे स्कूलों पर जिला प्रशासन शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने में अक्षम है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अभी तक वर्ष 2021-22 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में 25% प्रतिशत सीटों पर कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के कुल 41 बच्चों का नामांकन किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-02 में वर्णित निजी स्कूलों की सूची उपलब्ध कराते हुए गोड्डा अन्तर्गत सूचीबद्ध तमाम स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सख्ती के साथ पालन करने की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में सन्निहित है।

24/3/2021

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–52/2021. 567 /राँची, दिनांक 22.3. 2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1254, दिनांक 12.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

723

श्री भूषण बाड़ा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-23.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-31 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में राजकीय स्नातक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय नहीं होने के कारण राज्य के निर्धन, होनहार एवं मेधावी छात्र-छात्राएँ राज्य से बाहर के राज्यों में जाकर स्नातक शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के गरीब छात्र/छात्राएँ स्नातक शारीरिक शिक्षा आर्थिक अभाव में राज्य के गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं राज्य के बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिस कारण राज्य के संबंधित विभाग के नौकरियों से वंचित रह जाते हैं ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में खेलकूद की नर्सरी सिमडेगा जिला में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना का राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-41/2021HTESD 547 / रांची, दिनांक- 21/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1301 दिनांक-13.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(724)

656
22/03/2021

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–45

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्थापना अनुमति प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय 1–संत जेविदर उच्च विद्यालय, गोठगाँव लातेहार, 2–संत मेरियम उच्च विद्यालय, छिपादोहर, लातेहार 3– संतर इग्नायसिस उच्च विद्यालय, कुण्डपानी, पलामू 4–संत अंतोनिस उच्च विद्यालय, कजिया, गढ़वा, 5–होला क्रास उच्च विद्यालय, नयाखाड़, नगरऊटारी, गढ़वा, 6–संत जोसेफ उच्च विद्यालय, विश्रामपुर, 7–शांति निवास उच्च विद्यालय, गढ़वा, स्थायी संबद्धता हेतु सभी अर्हत्ताओं को पूरा करता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 में प्रख्यापित प्रावधानों के अनुसार स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को स्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाती है। प्रश्नाधीन विद्यालयों में से शांति निवास उच्च विद्यालय, गढ़वा को छोड़कर शेष 06 विद्यालयों द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति संबंधी शर्तों को पूरा करने का साक्ष्य झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची को अद्यतन समर्पित नहीं किया गया है। परिषद् द्वारा शांति निवास उच्च विद्यालय, गढ़वा के स्थायी प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त अनुशंसा पर विद्यालय की भूमि निबंधित है अथवा नहीं के संबंध में निदेशालयीय पत्रांक 1055 दिनांक 29.06. 2020 द्वारा उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, गढ़वा से पत्राचार किया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, गढ़वा के पत्रांक– 27 दिनांक–03.02.2021 द्वारा भूमि निबंधन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके समीक्षोपरान्त शांति निवास उच्च विद्यालय, गढ़वा को प्रस्वीकृति प्रदान करने के बिन्दु पर कार्रवाई की जा सकेगी।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सभी उच्च विद्यालयों के प्रबंधन समिति को स्थायी संबद्धता के अभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। ये सभी स्थापना अनुमति प्राप्त निजी विद्यालय हैं। प्रस्वीकृति के फलस्वरूप ये विद्यालय अनुदान के लिए पात्र होते हैं, जिन्हें झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 एवं झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2015 के अन्तर्गत अनुदान देय है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों को स्थायी संबद्धता प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में उत्तर सन्निहित है।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–50 / 2021 656 रांची, दिनांक 22/03/2021
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

725

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन- का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला का हैदरनगर देवी धाम तथा हुसैनाबाद का दंगवार सूर्य मंदिर पर्यटन के लिए काफी उपयुक्त स्थल है?	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला पर्यटन संवर्धन समिति के द्वारा खण्ड-1 में वर्णित स्थल को पर्यटक स्थल का दर्जा देने हेतु राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को अनुशंसा की है परंतु 28 फरवरी 2021 तक पर्यटक स्थल के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है?	2.	अस्वीकारात्मक इन स्थलों की मात्र पर्यटकीय विकास की अनुशंसा जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा की गई थी।
3.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला पर्यटन संवर्धन समिति के द्वारा अनाबद्ध निधि की राशि से शौचालय, स्नानागार, स्ट्रीट लाईट आदि कार्य कराए गए है जो आशा के अनुरूप नहीं है?	3.	देवीधाम मंदिर, हैदरनगर में शौचालय, स्नानागार, सोलर स्ट्रीट लाईट, डीप बोरिंग, आर०ओ०, पेवर ब्लॉक का कार्य पर्यटन विकास की अनाबद्ध निधि से जिला पर्यटन संवर्धन समिति के अनुशंसा पर जिला स्तर से कराया गया है तथा दंगवार सूर्य मंदिर में पेयजल, शौचालय एवं बेंच का निर्माण कराया गया है। हैदरनगर देवीधाम मंदिर में विवाह मंडप व मुख्य पथ से देवीधाम तक पहुँच पथ निर्मित है। वर्तमान में इन स्थलों के पर्यटन संभावना के अनुरूप कार्य कराये गये है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत हैदरनगर देवी धाम तथा हुसैनाबाद दंगवार सूर्य मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित कर समुचित विकास करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	इन स्थलों के पर्यटक स्थल अधिसूचित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा अप्राप्त हैं। जिला पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा। वर्तमान में इन स्थलों के पर्यटन संभावना के अनुरूप विकास कार्य कराया गया है जिसकी विवरणी कंडिका 3 में दी गई है, अतः वर्तमान में यहां अन्य कार्य कराना प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/62/2021 643 /राँची, दिनांक 22-03-2021

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-1302/वि०स०, दिनांक-13/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अपर सचिव

जितेन्द्र

Jharkhand Tourism

726

श्री भूषण बाड़ा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–42 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड अन्तर्गत पम्पापुर राजशाही के जमाने में पालकोट स्टेट की राजधानी थी?	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पम्पापुर पहाड़ी में श्रृषिमुख धार्मिक पर्वत, शीतलपुर गुफा, मलमलपुर गुफा, घोड़ालता गुफा, निर्भर झरना जैसे दर्शनीय स्थल अवस्थित है, जिसका विकास अब तक नहीं हुआ है?	2.	आंशिक स्वीकारात्मक श्रृषिमुख पर्वत पर पर्यटन विकास कार्य कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि गर्मी के दिनों में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, उतनी ही अधिक ठंढी हवा शीतलपुर एवं मलमव्यपुर गुफा से निकलती है, एवं गर्मी के दिनों निर्झर झरना का पानी पालाकोट, प्रखण्ड के 90% आबादी उपयोग करते है। बावजूद इसके घोड़ालता एक विशाल गुफा है, जिसमें सात सौ लोग अन्दर बैठकर इस रमणीय स्थल का आनन्द ले सकते है?	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित ऐसे ऐतेहासिक मनोरम एवं दर्शनीय स्थल को पर्यटक स्थल के रूप मे विकसित करने के लिए उक्त स्थल को समुचित विकास कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थलों में से श्रृषिमुख पर्वत पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित है। यहाँ पर्यटकों हेतु बैठने के लिए सिमेन्ट बेंच, शेड, शौचालय एवं स्नानागार तथा कियोस्क का निर्माण कराया गया है। प्रश्न में उल्लेखित अन्य स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित /अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति गुमला को रू० 3.80 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे गुमला जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/60/2021 638 /राँची, दिनांक 22-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1299/वि०स०, दिनांक–13/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अपर सचिव

727

श्री भानु प्रताप शाही, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–10

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधान–सभा क्षेत्र (गढ़वा जिला) के श्री वंशीधर नगर प्रखण्ड अंतर्गत तुलसीदामर डोलोमाईट खदान है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2-	क्या यह बात सही है कि दिनांक–16.02.2020 से खदान बंद है, जिसके चलते हजारो मजदूर भुखमरी के कगार पर है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। केन्द्र सरकार के उपक्रम सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि0 द्वारा धारित तुलसीदामर डोलोमाईट खदान के अवधि विस्तार के लिए पत्र निर्गत कर दिया गया है। जिसमें पट्टेधारी द्वारा प्रावधानानुसार आवश्यक कागजात दाखिल करना अपेक्षित है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुलसीदामर डोलोमाईट खदान चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–17/2021 836 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–202 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/21
सरकार के उप सचिव

728

श्रीमती ममता देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–07 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र रामगढ़ है, जहाँ कई छोटे, मंझोले और बड़े उद्योगों की इकाईयाँ संचालित है ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अभिलेखानुसार रामगढ़ ब्लॉक में कुल–52 इकाईयाँ अवस्थित है।
2– क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित इकाईयों की स्थापना में औद्योगिक तथा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने से पूरे रामगढ़ क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि होने के साथ ही गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक। प्रदूषण उत्पन्न करने के अनेक कारकों में से औद्योगिक कारक एक कारण है। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद विधि अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपेक्षित कार्य करता है। विभागीय पत्रांक–1032 दिनांक–19.03.2021 द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से प्रतिवेदन की मांग की गई है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित विषय पर संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जाँच कराने एवं दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–59/2021–1044 व0प0, राँची, दिनांक–22/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–859 दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-3-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

F/VIDHAN SABHA-2021 (Mukesh)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-49

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् एक स्वशासी संस्था है। सरकार पर इसका कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। झारखण्ड सरकार द्वारा परिषद् का 352 पद स्वीकृत है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, अधिनियम -2002 द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को एक स्वशासी संस्था घोषित की गई है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली- 2016 में निहित प्रावधानों के तहत परिषद् के आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त निधियों के व्यय एवं विकलन की वित्तीय शक्ति झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अधीन है।
2.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् प्रबंधन द्वारा 47 आकस्मिक कर्मी, 10 सुरक्षा गार्ड, 2 चालक दैनिक कर्मियों को जो सुविधा दिया जा रहा है, वे सुविधा एक दशक से कार्य कर रहे अन्य दैनिक कर्मियों को नहीं दिया जा रहा है।	स्वीकारात्मक। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पत्रांक- JAC/SECY/198/21 दिनांक-19.03.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में कार्य कर रहे 47 आकस्मिक कर्मी को बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में रखा गया था। राज्य बंटवारे के पश्चात् राँची में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, राँची के रूप में परिणत हो गया और यहाँ कार्यरत सभी कर्मी झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् में कार्य करने लगे। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना में इनके साथ कार्यरत कर्मियों को ज्ञापांक- BIEC स्था0/133/2001 दिनांक-10.10.2001 एवं BIEC/स्था0/136/2001 दिनांक-13.10.2001 के द्वारा मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था। जिसके आलोक में झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, राँची में कार्यरत आकस्मिक कर्मियों को भी ज्ञापांक- JIEC/SECY/0050-2002 दिनांक-07.01.2002 के द्वारा वेतनमान एवं मंहगाई भत्ता लागू कर दिया गया है। दिनांक-18.01.2006 को सम्पन्न परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में तदर्थ कर्मचारियों, जिनकी सेवा 10 वर्षों की हो गयी है, उन्हें अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश देय किया गया। (ज्ञापांक- JAC/403/06 दिनांक-11.02.2006) आकस्मिक कर्मियों की भांति 10 सुरक्षा गार्ड एवं 02 चालकों को परिषद् की बैठक संख्या-27 दिनांक-22.03.2006 को लिए गए निर्णय के आलोक में वेतनमान स्वीकृत किया गया है। (परिषद् पत्रांक-995/06 दिनांक-02.06.2006) परिषद् में कार्यरत दैनिक कर्मियों

		द्वारा 47 कर्मियों की भांति सुविधा प्रदान करने की मांग पर दिनांक–28.04.2016 को सम्पन्न परिषद की 75वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि मई 2016 से मूल वेतन (ग्रेड पे सहित) तथा 60% महंगाई भत्ता का भुगतान ऑपबंधिक रूप से किया जाय। परिषद् का निर्णय लागू नहीं होने के कारण दैनिक कर्मियों द्वारा पुनः आन्दोलन किया गया एवं दिनांक–27.05.2016 को परिषद् प्रबंधन एवं दैनिक कर्मचारियों के बीच एक समझौता किया गया। दिनांक–10.06.2016 को सम्पन्न परिषद् की 76वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या–(2) में देय वेतनमान नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। इस बैठक के प्रस्ताव संख्या–(3) में कर्मियों से हुए समझौते का अनुमोदन किया गया। तदनुसार इनके पारिश्रमिक में वृद्धि के साथ–साथ समझौते के अनुसार अन्य सुविधाये प्रदान की गई। परिषद् के निर्णय अनुसार एक दशक से कार्यरत दैनिक कर्मियों को 47 आकस्मिक कर्मी, 10 सुरक्षा गार्ड एवं 02 चालकों के भांति सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। अद्यतन परिषद् में 244 दैनिक कर्मी 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या झारखण्ड सरकार अधिविद्य परिषद् में कार्य कर रहे सभी दैनिक कर्मियों को समान सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड अधिविद्य परिषद नियुक्ति नियमावली 2016 ज्ञापित है। परिषद् के निर्णय अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

22/03/2021
(नवनीत किशोर नन्द)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सं०स०–03/JAC-01/2021...../ 857 राँची, दिनांक– 22-03-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

730

565
22.3.21

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री अमित कुमार मंडल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-52

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री निथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक, मध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में बच्चों के खेलने, शारीरिक संवर्धन जैसे विकास के लिए झुला, शारीरिक व्यायाम के लिए जिले के डी०एम०एफ०टी० योजना से विभिन्न खेल समान स्थापित (लगाये) किये गये है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड-एक में वर्णित सभी सामानों की आपूर्ति एक N.G.O. संस्था के माध्यम से किया गया है;	अस्वीकारात्मक। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार खेल/शारीरिक व्यायाम के सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें 4 निविदादाताओं के द्वारा भाग लिया गया था। विभिन्न उच्च विद्यालयों/महाविद्यालयों इत्यादि में ओपेन जिम एवं विभिन्न उत्क्रमित उच्च/मध्य/प्राथमिक विद्यालयों में खेल सामग्रियों की आपूर्ति अधिष्ठापन का कार्य न्यूनतम दर के चयनित निविदादाता Agrawal Garden Glory and Co., Ranchi, Jharkhand (GST No. 20BAZEA 6086N1Z6) के द्वारा किया गया है। चयनित निविदादाताओं के माध्यम से ओपेन जिम तथा खेल सामग्रियों के अधिष्ठापन हेतु कार्यपालक अभियंता, एम. आर.ई.पी., गोड्डा को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड-एक में वर्णित विद्यालयों में लगाये गये खेल कूद समान जमीन से उखड़ने लगे है, साथ टुटने-फुटने लगे है, जिसकी जिम्मेवारी आपूर्ति, निविदा प्राप्त कर्ता के उपर नहीं है;	अधिष्ठापन सामग्रियों के टुटने एवं उखड़ने की अधिकृत सूचना प्राप्त होने के उपरांत कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्त्ता से 9 विद्यालयों में आवश्यकतानुसार मरम्मति का कार्य कराया जा चुका है।

22/3/21

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार एक वर्ष के अंदर स्थापित उखड़े समानों, टूटे-फुटे समानों की जांच कराने तथा आपूर्ति कत्ता के उपर कार्रवाई करने एवं घटिया समानों की खरीद कराने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अधिष्ठापन/हस्तांतरण से एक वर्ष के अंदर अधिष्ठापित खेल सामग्रियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति ईत्यादि का कार्य संबंधित आपूर्तिकत्ता के द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमसंगत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–47/2021 565 /राँची, दिनांक 22.3. 2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1079, दिनांक 08.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

731

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 30 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा पार्षद (SBTE), राँची के तत्कालीन सचिव श्री आर0 के0 साहा ने एक निजी एजेन्सी MAVERIK CONSULTANCY SERVICES राँची के साथ दिनांक- 02 मार्च 2012 को MOU एकरारनामा किया गया था;	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि श्री साहा ने MOU करने के पूर्व ही पत्रांक 1663, दिनांक -29/12/2011 द्वारा उक्त निजी एजेंसी को रुपए 14331170/- (एक करोड़, तेतालीस लाख, एकतीस हजार,एक सौ सत्तर रुपए) का प्रथम अवैध कार्यादेश निर्गत कर उक्त निजी एजेन्सी को अवैध भुगतान भी कर दिया गया था;	पत्रांक 1663, दिनांक -29/12/2011 द्वारा उक्त निजी एजेंसी को रुपए 14331170 (एक करोड़, तेतालीस लाख, एकतीस हजार, एक सौ सत्तर रुपए) का कार्यादेश निर्गत कर भुगतान किया गया।
03	क्या यह बात सही है कि श्री साहा के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की चल रही जाँच के मद्देनजर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पत्रांक- 2038, दिनांक – 14/10/2014 द्वारा श्री साहा को राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका स्थानांतरित किया था;	स्वीकारात्मक
04	क्या यह बात सही है कि पत्रांक 1552, दिनांक -24/07/2017 द्वारा श्री साहा ने पुनः राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में पदस्थापित करवा कर उनके विरुद्ध चल रही जाँच को प्रभावित कर रहे हैं;	विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर श्री साहा का स्थानान्तरण राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में किया गया था।
05	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री साहा के द्वारा उक्त निजी एजेन्सी का अवैध भुगतान की गई सरकारी राशि का सूद सहित वसूली (Recovery) करने एवं श्री साहा को अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या -347 दिनांक 12.03.2021 द्वारा श्री साहा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय संसूचित किया जा चुका है। विभागीय कार्यवाही के उपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तीसरा तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची-834002.

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-27/2021/HTESD/ 394 /राँची, दिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 1260** दिनांक **12/03/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(732)

श्रीमती सीता सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-23.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-20 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को वाईफाई से लैस करने के लिए नेशनल इन्फोरमैटिक सेन्टर सर्विसेस इनकॉरपोरेटेड, नई दिल्ली को जिम्मेवारी दी गई थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वाईफाई लगाने के लिए उक्त कम्पनी को राँची विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा कुल 28 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः विश्वविद्यालयों के द्वारा निक्सी के माध्यम से कुल रू० 24,51,00,000/- नेशनल इन्फोरमैटिक सेन्टर सर्विसेस इनकॉरपोरेटेड, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि सभी विश्वविद्यालय में वाईफाई लगाने के लिए कम्पनी को बड़ी राशि का भुगतान दिए जाने के बावजूद अब तक उक्त सभी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला है ;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में निक्सी के द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य पूर्ण होते ही छात्रों एवं शिक्षकों को लाभ मिलने लगेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के द्वारा बरते गए लापरवाही के दोषी मानते हुए उक्त कम्पनी को झारखण्ड के सभी विभागों में काली सूची में डाले जाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार के सूचना तकनीकि विभाग के अपर सचिव, विभागीय अपर मुख्य सचिव एवं निक्सी के एम०डी० के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार कार्यों की समीक्षा की जा रही है ताकि वाई-फाई का कार्य जल्द पूर्ण किया जा सके।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-16/2021HTESD 437 / राँची, दिनांक- 20/03/2021/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-213 दिनांक-24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suresh 20/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

733

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.09.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खo–31

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में क्रशर एवं माईनिंग के क्षेत्र में कार्यरत विजय स्टोन रामगढ़, छतरपुर, गोविंद कंस्ट्रक्शन, पिपरा, गौतम इंटरप्राईजेज, हरिहरगंज व छतरपुर, रिद्धि सिद्धि स्टोन, चपरवार, हरिहरगंज के द्वारा पत्थर उत्खनन एवं पत्थर क्रशर के कार्य विगत कई वर्षों से किए जा रहे है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि संबंधितों को Mineral Dealer Registration प्राप्त है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित संस्थान के द्वारा जहाँ पत्थर उत्खनन के लिए लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया गया है/जा रहा है, वही खनन के मानक के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे है जैसे वृक्षारोपण, खनन के लिए खोदे गए गढ्ढे का भरावट आदि;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। खनिज अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा लीज एरिया के अंतर्गत ही उत्खनन का कार्य किया जा रहा है।
3-	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित संस्थान के द्वारा पत्थर की क्रशिंग मानक के अनुरूप में नहीं करते है, पर्यावरण संबंधी मामले का घोर उल्लंघन किया जाता है जितनी रॉयल्टी सरकार को देते है, उससे कई गुना ज्यादा पत्थर का उत्खनन और क्रशिंग करते है, जिससे सरकार को रॉयल्टी का नुकसान होता है, इनके भंडारण की नियमित जाँच नहीं होती है, यह सभी गलत ढंग से सी0टी0ओ0 प्राप्त किए है;	Consent of Operate (CTO) Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi से संबंधित है।
4-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 व 3 में वर्णित अनियमितता जिला खनन कार्यालय, पलामू के मिलिभगत से किया जाता है;	अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की जाती है।
5-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खनन एवं भूतत्व विभाग से राज्य स्तरीय कमिटी का गठन कर उक्त के संदर्भ में चलते सत्र में जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–55/2021 831 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1300 दिनांक–13.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–21 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखण्ड में जलवायु परिवर्तन के तहत अडॉप्टेशन प्रोग्राम 2016–17 में स्वीकृत किया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में यह स्वीकृति की गयी थी।
2– क्या यह बात सही है, कि उक्त योजना के लिए 12 करोड़ रूपए 5 साल के लिए दिया गया है ताकि गाँव के लोगों के विकास के साथ–साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त परियोजना अंतर्गत जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड के 27 गाँवों के लिए लगभग 12 करोड़ रू0 की राशि प्रावधानित है तथा अभी तक 4.88 करोड़ रू0 की राशि विमुक्त की गयी है। यह परियोजना चार वर्षों में क्रियान्वित की जानी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने व ग्रीन हाउस गैस के कम उत्सर्जन को बढ़ावा देना है।
3–क्या यह बात सही है, कि उक्त योजना का कोई भी कार्य धरातल पर नहीं किया गया है एवं सिर्फ कागज पर ही कार्य दिखाकर विभाग द्वारा भारी राशि का दुरूपयोग किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। इस परियोजना अंतर्गत नारायणपुर प्रखण्ड में अनुकूलन की सुविधा के लिए ग्रामीणों का क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण, मिट्टी व जल संचयन द्वारा वन के सूक्ष्म जलवायु में सुधार आदि कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा उपयोग की सामग्री यथा उन्नत कुक स्टोव, गोबर गैस प्लांट, सोलर लाईट इत्यादि ग्रामीणों को प्रदान किये गये हैं। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नकारात्मक प्रभाव लोगों के जीविकोपार्जन के साधनों पर कम से कम पड़े इसके बारे में नारायणपुर प्रखण्ड के लगभग 2400 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 111 परिवारों को उन्नत किस्म के चूल्हे दिए गए हैं। इन चूल्हों से धुआं कम निकलता है व खाना बनाने में लकड़ी कम लगती है, जिससे वनों की ईंधन लकड़ी पर निर्भरता कम होगी एंव ग्रामीण महिलाओं का कार्यभार कम होगा। 100 परिवारों को किचन गार्डन का सामान दिया गया है, जिससे की इन परिवारों में पोषण की समस्या को कम किया जा सके। वनों से निकलने वाले छोटे–छोटे नालों पर 51 गली प्लगिंग तथा 95 बोल्डर चेक डैम बनाए गए हैं, इससे वन क्षेत्रों में होने वाले कटाव को रोका जा सकेगा। जंगलों से निकलने वाले नालों पर 7

	ड्रम चेक डैम बनाए गए हैं, जिनका उपयोग गाँवों वाले भली–भांति कर रहे हैं। गाँव में नये तालाबों का निर्माण एवं 15 पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, इनसे ग्रामीणों को लाभ हो रहा है और कई गाँवों में किसान सम्भवतः पहली बार दूसरी फसल की खेती कर रहे हैं।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना में हुई वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच कराते हुए दोषी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है। इस परियोजना में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर की जाती है। दिनांक–20.07.2020 एवं 02.03.2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन व भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि की विस्तृत समीक्षा की गयी है। भारत सरकार द्वारा नामित एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा भी गत वर्ष इस परियोजना के विभिन्न अवयवों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को इस परियोजना का राष्ट्रीय क्रियान्वयन इकाई नियुक्त किया गया है, जिनके पदाधिकारियों की टीमों द्वारा अभी तक कुल–14 बार परियोजना क्रियान्वयन स्थलों का विस्तृत क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों का अनुश्रवण किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–29/2021– 1050 रा0प0, राँची, दिनांक– 22/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–390 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.3.21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

735

670
22/03/2021

डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स०–36

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के नौ प्रखण्डों में 96 सरकारी हाई स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 95 प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है। इस प्रकार बोकारो जिले के विभिन्न प्रखण्डों में स्थित सरकारी हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक समेत शिक्षकों के 871 पद रिक्त है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत् उत्क्रमित हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 48 व विभिन्न विषयों के 480 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राज्य सरकार की ओर से उत्क्रमित हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 13 व विभिन्न विषयों के शिक्षकों के कुल 42 पद रिक्त है,	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो जिलान्तर्गत संचालित 96 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 95 पद तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 594 पद रिक्त हैं। अर्थात्, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के कुल रिक्त पदों की संख्या 689 है। इनमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 13 पद एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 44 पद रिक्त हैं तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् उत्क्रमित किये गये उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 48 पद एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 387 पद रिक्त हैं, जो उपर्युक्त में सम्मिलित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं के लिए पठन–पाठन का एक मात्र साधन सरकारी उच्च विद्यालय ही है और सरकारी उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित विषयवार शिक्षकों के पद रिक्त रहने के कारण अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सरकारी उच्च विद्यालयों में 59 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं तथा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों एवं +2 विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या क्रमशः 11553 एवं 2546 है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित किये जाने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 415 दिनांक 25.02.2021 द्वारा स्पष्ट मापदंड निर्गत किये गये हैं, जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जिले के उपर्युक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित विषयवार शिक्षकों के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सीधी नियुक्ति के माध्यम से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हेतु जे०पी०एस०सी० के विज्ञापन संख्या–17/2017 के माध्यम से कुल 668 पदों पर प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आमंत्रित किया गया था। वर्तमान नियुक्ति नियमावली को संशोधित किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप के जे०पी०एस०सी० के पत्रांक 2248 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति संबंधित पूर्व में प्रेषित अधियाचना को वापस कर दी गयी है। नियुक्ति नियमावली में संशोधन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। *W.P.(C) No.-1387/2017* सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.09.2020 को पारित न्यायादेश द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में विज्ञापन सं –21/2016 के उस अंश, जिसके द्वारा जिला के स्थानीय निवासी को ही आवेदन करने का प्रावधान था, उसे रद्द कर दिया गया है। साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक–1044 दिनांक 18.02.2021 के क्रम में गैर अनुसूचित 11 जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर भी महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में नियुक्ति पर तत्काल रोक है।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–44 / 2021 670 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(736)

श्री केदार हजरा, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–15

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्षों से बालु घाट की निलामी नहीं किया गया है,	1. The Jharkhand State sand mining policy, 2017 के अनुसार बालूघाटों को दो Category में रखा गया है। Category-I, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर व्यवसायिक परियोजनाओं के लिए रखा गया है, जिसमें जिला के उपायुक्त अपने स्तर से कमिटि द्वारा चिन्हित करके पंचायत के माध्यम से निःशुल्क उपयोग किया जा रहा है। 2. Category-II के बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के माध्यम से किया जा रहा है। Category-II का संचालन State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक है।
2-	क्या यह बात सही है कि बालु घाटों की निलामी नहीं होने से सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, तथा बालु घाट के निलामी नहीं होने के कारण राज्य की जनता को तथा सरकारी कार्यो में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सड़क निर्माण, भवन निर्माण अन्य कार्य प्रभावित हो रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। झारखण्ड राज्य अन्तर्गत Category-I के तहत 235 बालू घाट चिन्हित है। सभी जिला के उपायुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि Category-I में निःशुल्क गैर व्यवसायिक (प्रधानमंत्री आवास योजना सहित) के लिए बालू अपने निगरानी में उपलब्ध कराये एवं बालू स्टॉकिस्ट से उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार परियोजनाओं को उपलब्ध करायें। किसी स्तर से अवैध खनन करने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त होती है, तो उपायुक्त स्तर से अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन टास्कफोर्स के माध्यम से कार्रवाई अविलम्ब किया जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूरे झारखण्ड राज्य के चिन्हित बालु घाटो की निलामी करवाकर राजस्व क्षा नुकसान रोकना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–30/2021 832 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–359 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(737)

श्री बैद्यनाथ राम, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–32

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गढ़वा जिला के भंडरिया में कोयला खनन् की अपार संभावना है, जिससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। यह बात सही है कि भंडरिया में कोयला के निक्षेप उपलब्ध है। कोयले के अन्वेषण का कार्य केन्द्र सरकार के संस्थान यथा–GSI, CMPDIL द्वारा ही किया जाता है। अन्वेषण कार्य पूरा किये जाने के उपरांत उसका नीलामी योग्य ब्लॉक बनाकर उसकी आम नीलामी के पश्चात खनन कार्य किये जाने का प्रावधान है।
2-	क्या यह बात सही है, कि जिले के प्रखण्ड रंका के सेवाडीह, हुरदाग में ग्रेफाईट का खनन् कार्य चल रहा था जो सरकार के उदासीनता के कारण अभी बंद है इस खदान के भी चालू हो जाने से रोजगार का सृजन हो सकता है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। पूर्व में इस क्षेत्र पर बिहार खनिज विकास निगम लि0 को 98.60 एकड़ क्षेत्र पर ग्रेफाईट का खनन पट्टा दिनांक–14.10.1976 से 20 वर्षों के लिए स्वीकृत था। वर्णित क्षेत्र में ग्रेफाईट खनन पट्टा हेतु रिक्ति का विज्ञापन निर्गत किया गया एवं राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। परन्तु आवेदन प्राप्त नहीं है। MMDR Act, में 2015 के संशोधन के पश्चात खनिज अनुदान The Mineral (Content of Evidence) Rules, 2016 एवं The Mineral (Auction) Rules, 2016 के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार दिया जाना है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भंडरिया में कोयला खनन् एवं रंका के सेवाडीह, हुरदाग में बंद पड़े ग्रेफाइट माइंस को खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–56/2021 830 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1320 दिनांक–15.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(738)

श्री केदार हजरा, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–14

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, पिछले 1 वर्ष से गिरिडीह जिला के सरकारी बालूघाटों की नीलामी नहीं की गई है;	1. The Jharkhand State sand mining policy, 2017 के अनुसार बालूघाटों को दो Category में रखा गया है। Category-I, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर व्यवसायिक परियोजनाओं के लिए रखा गया है, जिसमें जिला के उपायुक्त अपने स्तर से कमिटि द्वारा चिन्हित करके पंचायत के माध्यम से निःशुल्क उपयोग किया जा रहा है। 2. Category-II के बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के माध्यम से किया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अन्तर्गत Category-I के बालूघाटों की संख्या 06 है एवं Category-II के बालूघाटों की संख्या–18 है। Category-II का संचालन State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक है। गिरिडीह जिला में बालू स्टॉकिस्ट के पास माह फरवरी, 2021 तक 64600 cft मात्रा में बालू बिक्री के लिए उपलब्ध है। सभी जिला के उपायुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि Category-I में निःशुल्क गैर व्यवसायिक (प्रधानमंत्री आवास योजना सहित) के लिए बालू अपने निगरानी में उपलब्ध कराये एवं बालू स्टॉकिस्ट से उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार परियोजनाओं को उपलब्ध करायें, यदि बालू माफिया द्वारा कोई स्तर से अवैध खनन करने की सूचना जिला प्रशासन को मिलती है, तो उपायुक्त स्तर से अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन टास्कफोर्स के माध्यम से कार्रवाई अविलम्ब किया जाता है। पिछले 01 वर्ष में गिरिडीह जिला के अन्तर्गत अवैध खनन टास्कफोर्स के द्वारा 14.81 लाख रूपये की वसूली एवं 12 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
2-	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिले के सरकारी बालूघाटों का नीलामी नहीं होने से आम जनता तथा सरकारी कार्य प्रभावित हो रहा है, तथा सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है;	यथा उपरोक्त
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिले के सरकारी बालूघाटों की नीलामी करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–21/2021 838 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–206 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव 22/3/21

739

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–25 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड के भगहर पंचायत में अवैध शराब बनाने के लिए भट्ठियों में जलाने हेतु प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेक्टर जंगल से लकड़ी की कटाई की जाती है ;	अस्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि अवैध लकड़ी की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है एवं दूषित होता है ;	स्वीकारात्मक।
3–क्या बात सही है कि अवैध लकड़ियों की कटाई करने पर अबतक विभाग के द्वारा केस दर्ज नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जंगल से अवैध लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन विभाग द्वारा अवैध लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्ती, जब्ती एवं छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। यह स्थल घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में है, अतः ग्रामीणों के सहयोग हेतु ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों का सक्रिय सहयोग भी वनों के संरक्षण में लिया जा रहा है एवं उनके माध्यम से सूचनातंत्र विकसित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–54/2021–1043 व0प0, राँची, दिनांक– 22/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1259 दिनांक–12.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

740

671
22/03/2021

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स०–56 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिला में सरकारी उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरीयता सूची अब तक तैयार नहीं होने के कारण शिक्षकों को वरीय वेतनमान् से वंचित रखा गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में माध्यमिक विद्यालय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का पद राज्यस्तरीय था। विभागीय अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 01.03.2016 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 के द्वारा इनका संवर्ग जिलास्तरीय हो गया है। वर्त्तमान में वरीय वेतनमान् आदेश निर्गत किए जाने हेतु जिला द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 के आलोक में निर्धारित अवधि के उपरांत शिक्षकों को वरीय वेतनमान् देने का प्रावधान है,	स्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं शर्त्त नियमावली 2015 की कंडिका–06 (i) में प्रावधानित है कि – केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा–निदेशों के अनुरूप नियम–3 में दर्शायी गई श्रेणियों की मूल कोटि के वेतनमान् में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान् देय होगा।
3	क्या यह बात सही है कि विभागीय लापरवाही के कारण सरायकेला–खरसांवा जिला के शिक्षकों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है,	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरायकेला–खरसांवा जिला के माध्यमिक शिक्षकों को वरीय वेतनमान् देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में उत्तर सन्निहित है।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–75/2021 671 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(741)

667
22/03/2021

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–57
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार पूरे प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छता एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कृत संकल्पित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड अन्तर्गत कोनवाई एवं तेतराई उच्च विद्यालय में बालक एवं बालिकाएं पठन–पाठन करते हैं तथा शौचालय एवं चहारदिवारी निर्माण नहीं होने के कारण अध्ययनरत बालिकाओं को असहजता महसूस होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिला के पाँकी प्रखण्ड अन्तर्गत कोनवाई पंचायत में 04 सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय हैं, जिसमें बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय व्यवस्था उपलब्ध है। कोनवाई पंचायत में बिरेन्द्र कृष्णा रामबली उच्च विद्यालय है, जो एक बिस रहित विद्यालय है तथा इस विद्यालय में भी बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय व्यवस्था उपलब्ध है। पलामू जिला के पाँकी प्रखण्ड अन्तर्गत ही तेतराई पंचायत में राजकीयकृत डॉ0 अम्बेदकर उच्च विद्यालय, तेतराई स्थित है, जिसमें बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय व्यवस्था उपलब्ध है। पाँकी प्रखण्ड अन्तर्गत कोनवाई एवं तेतराई पंचायत स्थित उच्च विद्यालय में चाहरदिवारी निर्माण हेतु किसी प्रकार की राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। साथ ही राज्य सरकार के पत्रांक भ.नि.–5 विविध–03/19/1041/सी.एस. दिनांक 10.07.2019 द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहरदीवारी का निर्माण संवेदनशील स्थलों एवं भंडारण स्थल तक ही सीमित रखने का निर्देश है। विद्यालयों में *Green Hedge Fencing* को अंगीकृत करने का निदेश है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय एवं चहारदिवारी निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–72/2021 667 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

742

श्री नातिन सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–39 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के चांडिल अनुमण्डल अन्तर्गत एन०एच०–33 टाटा–रांची पथ पर मात्र 03 कि०मी० दूरी पर जैन धर्म मानने वालों का 3000 वर्ष पुरानाएतिहासिक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा व मंदिर है?	1.	आंशिक स्वीकारात्मक मान्यता के अनुसार यह 2400 वर्ष पुराना है।
2.	क्या यह बात सही है कि यह प्राचीन मंदिर जैन धर्म के लोगों का तथा राज्य का सांस्कृतिक धरोहर है, जो अबतक उपेक्षा का दंश झेल रहा है ?	2.	आंशिक स्वीकारात्मक मान्यता के अनुसार यह काफी पुराना है। परंतु इसका पुरातात्वीक सर्वेक्षण नहीं हुआ है तथा सांस्कृतिक धरोहर की सूची में यह स्थल शामिल नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस सांस्कृतिक धरोहर का अबतक पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराकर पर्यटन विभाग से विकसित करने की पहल नहीं की गयी है?	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तीर्थ स्थल एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन विभाग से सर्वेक्षण कराकर देवलटाड मंदिर को महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल व दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	इस मंदिर व मूर्ति का पुरातात्वीक सर्वेक्षण कराया जायेगा। सर्वेक्षण के उपरांत पुरातात्वीक महत्व का पाये जाने की स्थिति में इसके संरक्षण व समुचित पर्यटकीय विकास की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/61/2021 642 /राँची, दिनांक 22-03-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1257/वि०स०, दिनांक–12/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021
सरकार के अपर सचिव

लिपिक

Jharkhand Tourism

743

सुश्री अम्बा प्रसाद,मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० ख–25 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव प्रखण्ड स्थित पंकरी बरवाडीह में प्राकृतिक दर्शनीय स्थल मेघा स्थनीज से सूर्योदय का दीदार करने एवं भारी संख्या में पर्यटकों का आगमन प्रति वर्ष होता है?	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** कुछ पर्यटकों का आगमन होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि पंकरीबरवाडीह में एन०टी०पी०सी० त्रिवेणी सैनिक के द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए जाने के फलस्वरूप प्राकृतिक छटा का मनोहारी दृष्य अवलोकनार्थ मेघास्थनीज स्थल विलुप्त होते जा रहा है?	2.	**अस्वीकारात्मक**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बड़कागाँव क्षेत्राधीन पंकरीबरवाडीह स्थित मेघास्थनीज को बचाने एवं उचित रख–रखाव करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	वर्तमान में यह स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। यह स्थानीय स्तर का पर्यटक स्थल हो सकता है। इस प्रकार के पर्यटक स्थलों के विकास एवं रख–रखाव हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है तथा इस समिति को विभाग से Untied (अनाबद्ध) राशि भी दिया जाता है। इस स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में रख–रखाव जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय व उपलब्ध निधि पर पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/67/2021 641 /राँची, दिनांक 22-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–867/वि०स०, दिनांक–03/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021
सरकार के अपर सचिव

Jharkhand Tourism

(744)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–29 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिला के माण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–बसंतपुर में कई वर्षों से सी0सी0एल0 द्वारा कोल वाशरी संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है, कि ग्राम–बसंतपुर के इर्द–गिर्द कई अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित है, जिससे क्षेत्र में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की स्थिति भयावह हो गई है एवं ग्रामीणों को अनेकों प्रकार की गम्भीर बिमारियों से सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बसंतपुर के इर्द गिर्द कुल–03 कोलवाशरी एवं 04 कोयला खदान अवस्थित है, जिसमें से 01 कोयला खदान संचालित नहीं है। उपरोक्त कोल खदानों द्वारा जल का बहिःस्राव इकाई परिसर के बाहर नहीं किया जाता है। जिससे जल प्रदूषण की संभावना नहीं बनती है। सभी वाशरी एवं कोयला खदानों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में सभी मानक पर्यावरणीय नियम के अनुरूप है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम–बसंतपुर के इर्द–गिर्द कई अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित है जिससे होने वाले प्रदूषण के अंतर्गत सिलिकोशिस, प्रीमोकोनियोशिस, अस्थमा एवं टी0बी0 जैसे गंभीर बिमारी हो सकता है। जिसका ईलाज सी0सी0एल0 अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थान में किये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। ईलाज किये गये मरीजों का आँकड़ा के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वायु प्रदूषण के तहत वर्ष 2019 में 696 Patient एवं 2020 में 465 Patient पाये गये हैं। जिसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सदर अस्पताल में किया गया है। जल प्रदूषण के तहत वर्ष 2019 में 200 एवं वर्ष 2020 में 150 Patient पाये गये।
3–क्या यह बात सही है, कि वर्तमान में सी0सी0एल0 द्वारा अन्यत्र लगाये जाने वाली नई कोल वाशरी को पुनः अतिरिक्त वाशरी की स्थापना बसंतपुर में जनहित के विरूद्ध लगाने की योजना बनाई गई है ;	स्वीकारात्मक। बसंतपुर में एक अतिरिक्त कोल वाशरी स्थापित करने हेतु मेसर्स सी0सी0एल0 द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व लोक सुनवाई करायी गई थी। लोक सुनवाई से संबंधित कार्यवाही एवं प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित है। भारत सरकार द्वारा इसके उपरांत कोई कार्रवाई किये जाने की सूचना अप्राप्त है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी0सी0एल0 द्वारा ग्राम–बसंतपुर में अतिरिक्त वाशरी निर्माण पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–53/2021– 1051 व0प0, राँची, दिनांक– 22.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1083 दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-3-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

745

श्री विनोद कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि Jharkhand Soud Mining Policy, 2017 के अनुसार बालू घाटों को Categorize कर संचालित करने का निर्णय था, जिसके अनुसार Category-1 में बालू घाटों से पंचायत अन्तर्गत विकास कार्य एवं निजी कार्य हेतु बालू उपयोग में लाया जायेगा,	1. The Jharkhand State sand mining policy, 2017 के अनुसार बालूघाटों को दो Category में रखा गया है। Category-I, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर व्यवसायिक परियोजनाओं के लिए रखा गया है, जिसमें जिला के उपायुक्त अपने स्तर से कमिटि द्वारा चिन्हित करके पंचायत के माध्यम से निःशुल्क उपयोग किया जा रहा है। 2. Category-II के बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के माध्यम से किया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अन्तर्गत Category-I के बालूघाटों की संख्या 06 है एवं Category-II के बालूघाटों की संख्या–18 है। Category-II का संचालन State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक है। गिरिडीह जिला में बालू स्टॉकिस्ट के पास माह फरवरी, 2021 तक 64600 cft मात्रा में बालू बिक्री के लिए उपलब्ध है। सभी जिला के उपायुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि Category-I में निःशुल्क गैर व्यवसायिक (प्रधानमंत्री आवास योजना सहित) के लिए बालू अपने निगरानी में उपलब्ध कराये एवं बालू स्टॉकिस्ट से उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार परियोजनाओं को उपलब्ध करायें, यदि बालू माफिया द्वारा कोई स्तर से अवैध खनन करने की सूचना जिला प्रशासन को मिलती है, तो उपायुक्त स्तर से अवैध खनन को रोकथाम हेतु खनन टास्कफोर्स के माध्यम से कार्रवाई अविलम्ब किया जाता है। पिछले 01 वर्ष में गिरिडीह जिला के अन्तर्गत अवैध खनन टास्कफोर्स के द्वारा 14.81 लाख रूपये की वसूली एवं 12 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
2-	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला के बगोदर–सरिया अनुमंडल के तहत बालू घाटों को Categorize नहीं किया गया है, जिसके कारण निजी कार्यों हेतु उपयोग में बालू लाने वालों से सरिया थाना व अंचलाधिकारी द्वारा अवैध वसूली होती है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है। Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 में निहित प्रावधान के आलोक में बालू घाटों के Categorization हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में DSR तैयार की जाती है। वर्त्तमान में बगोदर सरिया अनुमंडल अन्तर्गत बालू घाटों को Category-I में चिन्हित नहीं है। चिन्हित करने हेतु उपायुक्त को निदेश दे दी गई है। सरकारी योजनाओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के कार्यों के लिए श्रेणी–1 बालूघाटों से बालू का उठाव करने के लिए 06 बालूघाटों का सृजन किया गया है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 2017 की निति के तहत निजी उपयोग में बालू लानेवालों की परेशानी हल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–29/2021 839 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–360 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021
सरकार के उप सचिव

746

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–43 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखण्ड अन्तर्गत शिवनगर स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर पूरे राज्य में विशेषकर संताल परगना में आस्था का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है?	1.	**आंशिक अस्वीकारात्मक** यह स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित स्थल है।
2.	क्या यह बात सही है कि सिंघेश्वर नाथ मंदिर में सालो भर बड़ी संख्या में श्रद्धालू उक्त मंदिर में पूजा–अर्चना करने आते है?	2.	**स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर का सौन्दर्यीकरण यात्रियों को ठहरने हेतु भवन, धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने के लिए मंच निर्माण एवं शिवगंगा का जीर्णोद्धार इत्यादि कार्यों से अबतक उक्त मंदिर वंचित है?	3.	**आंशिक अस्वीकारात्मक** यहाँ मंदिर परिसर के अंदर एक धर्मशाला, 2000 वर्गफीट का एक हॉल, शिवगंगा में एक तरफ 100 फीट सीढ़ीघाट, एक स्नानागार तथा 10 यूनिट शौचालय निर्मित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित सिंघेश्वर नाथ मंदिर को तीर्थ स्थान एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	यह स्थल स्थानीय स्तर (श्रेणी 'D') का पर्यटक स्थल है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति को Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति गोड्डा को रू० 3.50 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे गोड्डा जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। वर्त्तमान में इस स्थल पर पर्यटकों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आवश्यक अतिरिक्त सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/65/2021 639 /राँची, दिनांक 22.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1319/वि०स०, दिनांक–15/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अपर सचिव

जितेन्द्र

Jharkhand Tourism

747

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

570

22.03.21

श्री मनीष जायसवाल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-13

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री निथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में सभी जिलों को 66.12 करोड़ रूपयें राशि छात्रों को स्कूल किट क्रय करने हेतु दी गई थी जिसके अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को कॉपी, पेन-पेंसिल, कटर व इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देने का प्रावधान है.	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2019–20 में 33024 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत कुल 3359648 विद्यार्थियों को विद्यालय किट के अंतर्गत कॉपी, पेन–पेंसिल,कटर एवं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उपलब्ध कराने हेतु उपर्युक्त विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में रुपये 66.12 करोड़ की राशि सीधे उपलब्ध कराई गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित किट का क्रय राज्य के सभी जिलों में सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप न करते हुए मनमानी तरीके से घटिया गुणवता वाली किट क्रय की गई है.	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय निदेशानुसार निर्धारित मापदंड के आधार पर ही विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सामग्री का क्रय कर विद्यार्थियों के बीच वितरित किया गया है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक 825 दिनांक 06.05.2020 एवं पत्रांक–2071, दिनांक 15.12.2020 द्वारा निदेशित किया गया है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक–1467, दिनांक 16.09.2020 द्वारा सभी जिले के उपायुक्त को क्रय में अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध जाँच कर कार्रवाई करने हेतु आवश्यक दिशा–निदेश दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में सुदूरवर्ती स्कूलों में उक्त किट की आपूर्ति खण्ड-1 में वर्णित कक्षा के बच्चों के बीच अब तक नहीं कर रूपयों की निकासी कर ली गई.	इस आशय की कोई शिकायत जिलों में प्राप्त नहीं हुई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए संबंधित दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई का विचार रखती है. हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त खण्डों में निहित है। यदि इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो अविलंब कार्रवाई की जायेगी।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16 / वि.2–46 / 2021 - 570 / राँची, दिनांक 22.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 220, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

748

श्रीमती सीता सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–05

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कुटीर एवं लघु उद्योग के अंतर्गत काम करनेवाले लाखों बुनकर यहां के कपड़ों की मांग में आई कमी के कारण आज बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वास्तव में कोविड–19 के प्रभाव के कारण कुटीर एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत कार्य करने वाले बुनकरों के उत्पादों की मांग में कुछ हद तक कमी आई है। कोविड–19 की स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध में छूट के परिणाम स्वरूप अब धीरे–धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कुटीर एवं लघु उद्योग और बुनकरों के उत्पादों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खरीदने को लेकर प्राथमिकता देने की कोई नीति नहीं बनाई गई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–2963 दिनांक–16.10.2014 के द्वारा निर्गत एवं अधिसूचना संख्या–1342, दिनांक–16.07.2019 के द्वारा आंशिक संशोधन के द्वारा Jharkhand Procurement Policy के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में किये जाने वाले क्रय में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभिन्न विभागों के सरकारी खरीद में स्थानीय बुनकरों एवं कुटीर एवं लघु उद्योग को प्राथमिकता देने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों में झारखण्ड के स्थानीय बुनकरों का रजिस्ट्रेशन करवाकर निःशुल्क टेंडर के द्वारा खरीद में 50% अनिवार्य प्राथमिकता देने की नीति बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के उपक्रमों से विभिन्न विभागों के खरीद हेतु Jharkhand Procurement Policy -2014 की कंडिका–9 के अन्तर्गत Rate Contract की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार के MSME मंत्रालय के अनुरूप ही 20% तक क्रय में प्राथमिकता का प्रावधान है और टेण्डर निःशुल्क दिये जाने का भी प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–06/2021 308 राँची, दिनांक:– 18.03.2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–195 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.03.2021

सरकार के अवर सचिव

749

661
22/03/2021

श्रीमती पुष्पा देवी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–60

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के पड़वा प्रखण्ड के लामीपत्रा में राजकीय उच्च विद्यालय है, जिसमें वहाँ के छात्र दसवीं तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाते है एवं उच्च शिक्षा हेतु उन्हें जिला मुख्यालय जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–2748 दिनांक 18.11.2008 के द्वारा प्रत्येक 07–08 कि0मी0 की परिधि पर +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। पलामू जिला के पड़वा प्रखण्ड में अवस्थित राजकीय उच्च विद्यालय, लामीपत्रा में वर्ग–09 में कुल 395 एवं वर्ग–10 में कुल 352 विद्यार्थी नामांकित हैं। उक्त विद्यालय से मात्र 04 कि0मी0 की दूरी पर राजकीयकृत सूरत +2 उच्च विद्यालय, लोहड़ा संचालित है, जिसे विभागीय संकल्प संख्या–2390 दिनांक 22.10.2016 के द्वारा +2 विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। साथ ही मात्र 06 कि0मी0 की दूरी पर राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, पाटन, पलामू भी संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय +2 नहीं रहने से गरीब छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पड़वा प्रखण्ड के लामीपत्रा राजकीय विद्यालय को +2 हाई स्कूल हो जाने से वहाँ के मेधावी छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे;	कंडिका–01 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित राजकीय उच्च विद्यालय को +2 हाई स्कूल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–01 में उत्तर सन्निहित है।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–73/2021 661 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

750

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–23.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–40 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी, मनातू, तरहसी एवं लेस्लीगंज में आज तक एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पांकी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण कार्य अंतिम स्तर पर है।
2	क्या यह बात सही है, कि खेल स्टेडियम के अभाव में ग्रामीण कस्बों के युवा, प्रतिभावान खिलाड़ी अपने–अपने हुनर को निखारने के लिए अभ्यास नहीं कर पाते है, जिस कारण उनकी प्रतिभा गुमनामी में खो जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में स्टेडियम का निर्माण खिलाड़ियों के हित में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बजटीय उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम निर्माण की सम्भाव्यता एवं उपयोगिता का आकलन कर स्टेडियम निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–64/2021 645 / राँची, दिनांक 22.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1258/वि०स०, दिनांक–12.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

751

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

680
22.03.21

श्री नारायण दास, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-41

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री निशिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अंतर्गत वर्ष 1989 में एकीकृत बिहार के समय 36 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें 22 शिक्षक कार्यरत है, चार शिक्षकों की मौत हो चुकी है, पाँच शिक्षक नौकरी छोड़ चुके है तथा सेवानिवृत तीन शिक्षक सहित दो मृत शिक्षक की विधवा पेंशन हेतु विभाग का चक्कर लगा रही है,	वस्तुस्थिति यह है कि अनियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों में से 22 शिक्षक कार्यरत हैं, 04 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी हैं, 05 नौकरी छोड़ चुके हैं तथा 03 वार्धक्य सेवानिवृति का उम्र प्राप्त कर चुके है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित शिक्षकों एवं उनकी आश्रितों को सेवानिवृत का पूरा लाभ अब तक नहीं मिल सका है,	वस्तुस्थिति यह है कि अविभाजित बिहार में देवघर जिला में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 24.01.1987 पैनल का निर्माण किया गया था, जिसके आलोक में ज्ञापांक–2106–87, दिनांक 01.03.1989 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया, जिसके आलोक में दिनांक 15.03.1989 तक योगदान करना अनिवार्य था। बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक–921, दिनांक 01.03.1989 द्वारा के प्राप्त निदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, के पत्रांक–2626–2712, दिनांक 29.09.1989 के द्वारा नियुक्ति स्थगित कर दिया गया। उक्त के संदर्भ में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–3797/1989 में दिनांक 14.08.1989 को पारित आदेश *"The Government will be at liberty to proceed in accordance with law as regards the petitioners and other similarly situated persons"* के आलोक में जाँचोपरांत निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) सह संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा उपायुक्त, देवघर को प्रेषित पत्र पत्रांक–546 दिनांक 05.03.1990 में अंकित किया गया है कि यह नियुक्ति जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नहीं की गई थी, जिसके कारण अनियमित नियुक्ति की श्रेणी में है। जिला कार्यालय द्वारा जाँच हेतु गठित समिति द्वारा भी दिनांक 22.07.2019 को दिये गये प्रतिवेदन में उक्त नियुक्ति को अनियमित नियुक्ति की श्रेणी में रखा गया है।

24/3/2021

		समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 01.10.2019 को संलिया गया कि इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया जाय। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–4031, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी अधिवक्ता का परामर्श प्राप्त है तथा विधान सभा क्षेत्र मधुपुर उप चुनाव हेतु लागू आचार संहिता के उपरांत स्थापना समिति की बैठक आहुत कर इस मामले पर निर्णय लिया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड (1) में वर्णित जिला अंतर्गत सेवानिवृत शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को अविलंब सेवानिवृत पश्चात सभी लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इसे खंड का उत्तर खंड 2 में निहित है।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 14/व.2–03/2021.....580...../राँची, दिनांक ...22/03/...2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 649, दिनांक 27.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

752

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

582
22.03.21

श्री सोनाराम सिंकू, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-59

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि अविभिाजित बिहार के समय कोल्हान प्रमंडल में उड़िया भाषा की पढ़ाई विद्यालयों में पढ़ाया जाता था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मध्य विद्यालय डांगुवापोसी, जगन्नाथपुर, मध्य विद्यालय कंका, मझगाँव, प्राथमिक विद्यालय हापुगुटू हाटगम्हारिया, मध्य विद्यालय हाटगम्हारिया, मध्य विद्यालय चोया, झींकपानी, उड़िया स्कूल गाँधी टोला चाईबासा, जिला स्कूल चाईबासा, प्राथमिक विद्यालय कोचड़ा हाटगम्हारिया, मध्य विद्यालय चिटीमिटी तांतनगर प्राथमिक विद्यालय नीलचक्रपदा मंझारी, प्राथमिक विद्यालय केरा चक्रधरपुर, प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, चक्रधरपुर उड़िया मध्य विद्यालय चैनपुर चक्रधरपुर इत्यादि को उड़िया पढ़ाई से वंचित कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अविभाजित बिहार के समय से ही प्रश्नगत विद्यालयों में से मात्र जिला स्कूल चाईबासा में उड़िया विषय का पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध शिक्षक कार्यरत है साथ ही उड़िया स्कूल गाँधी टोला चाईबासा अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय है, जिसमें कार्यरत शिक्षक के द्वारा उड़िया भाषा की पढ़ाई की जाती है। वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनिवार्य भाषा के रूप में उड़िया भाषा से उत्तीर्ण कक्षा 1 से 5 में 132 शिक्षक तथा कक्षा 6 से 8 में 21 शिक्षक कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि उड़ीया भाषा की पढ़ाई बंद होने से उड़ीया भाषी लोग उपेक्षित महसूस कर रहे है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविभाजित बिहार के समय में शुरू किये गये उड़ीय भाषा विद्यालयों में उड़ीया भाषा की पढ़ाई पुनः चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

24/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-51/2021...581...../राँची, दिनांक ...22/03/...2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1255, दिनांक 12.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/2021
सरकार के अवर सचिव

757

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–08

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–06-(S)/Misc/BSIDC-07/2016-2146 दिनांक–24.05.2018 से निर्गत संकल्प के अनुसार बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के झारखण्ड स्थित सरकारी इकाईयों (i) बिहार स्टेट सुपरफोस्फेट फैक्टरी, सिंदरी, धनबाद (ii) हाई टेंशन इन्सुलेटर फैक्टरी, नामकुम, राँची (iii) इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्टरी, टाटीसिलवे, राँची (iv) मैलेबल कास्ट आयरण फाउंड्री तथा (v) स्वर्ण रेखा वॉच फैक्टरी की परिसंपत्तियां 1 अप्रैल, 2018 से झारखण्ड अधीन की गई परंतु झारखण्ड सरकार ने बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 46 एवं 47 के आलोक में उक्त इकाईयों का अधिग्रहण नहीं किया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2146, दिनांक–24.05.2018 के क्रम संख्या–(v) पर Assets की सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित Assets संबंधित राज्य सरकार या उसके एजेंसी को मात्र सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिनांक–31.03.2018 के प्रभाव से Assets Transfer का प्रावधान है। किन्तु बिहार सरकार द्वारा अभी तक BSIDC (Bihar State Industrial Development Corporation) के झारखण्ड अवस्थित Assets का स्वामित्व Transfer का उल्लेख नहीं है। उद्योग विभाग के पत्रांक–1639, दिनांक–21.08.2019 द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम–2000 के भाग–VI की धारा 46 एवं 47 के आलोक में झारखण्ड अवस्थित सभी आस्तियों को हस्तांतरित करने तथा झारखण्ड अवस्थित इकाईयों के सभी दायित्वों का भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति मांगी गयी थी, जिसपर बिहार सरकार द्वारा अभी तक सहमति नही दी गयी है। सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही झारखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त इकाईयों का नामकुम, राँची में 112.26 एकड़ सिंदरी धनबाद में 79.30 एकड़ एवं टाटीसिलवे, राँची में 94.44 एकड़ भूमि एवं परिसंपत्तियाँ है, जिसके देख–रेख करने में बिहार सरकार उदासीन है;	बिहार सरकार से संबंधित है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त कुल 286 एकड़ भूमि को झारखण्ड सरकार द्वारा अधिग्रहण कर उद्योग लगाया जा सकता है, जिससे अनेक रोजगार का सृजन हो सकता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। यदि बिहार एवं झारखण्ड सरकार के बीच BSIDC (Bihar State Industrial Development Corporation) की आस्तियों एवं दायित्व का दोनो राज्यों के बीच बंटवारा हो जाता है तो उसे प्राप्त कर उसमें औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया जायेगा तथा उसमें रोजगार का सृजन होगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त परिसंपतियों का अविलंब अधिग्रहण कर उद्योग लगा कर रोजगारों का सृजन करने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–22/2021 311 राँची, दिनांक– 18/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1101 दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.03.2021
सरकार के अवर सचिव

754

660
22/03/2021

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–54

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के उडीसा सीमावर्ती क्षेत्रों में कई उड़िया माध्यम के विद्यालय अवस्थित हैं;</td><td>अस्वीकारात्मक।

उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र से सटे झारखण्ड राज्य के चार जिले– पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा एवं सरायकेला–खरसांवा अवस्थित हैं, जिनमें उड़िया भाषा–भाषी गैर सरकारी अल्पसंख्यक मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय भी संचालित हैं। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में उड़िया विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का पद स्वीकृत है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों में उड़िया भाषा के शिक्षक तथा पुस्तक उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है;</td><td>प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति RTE Act, 2009 एवं नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) तथा +2 विद्यालयों में झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली के प्रावधानों एवं मापदंडों के आधार पर की जाती है। अद्यतन इनमें क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के पद सृजित नही हैं।

माध्यमिक विद्यालयों में उड़िया विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का पद सृजित है तथा इन जिलों में उड़िया भाषा के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के स्वीकृत एवं कार्यरत पद निम्नवत् हैं :–

<table><tr><th>जिला का नाम</th><th>स्वीकृत पद</th><th>कार्यरत पद</th></tr><tr><td>सरायकेला–खरसांवा</td><td>20</td><td>03</td></tr><tr><td>सिमडेगा</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>पश्चिमी सिंहभूम</td><td>19</td><td>10</td></tr><tr><td>पूर्वी सिंहभूम</td><td>09</td><td>04</td></tr></table>
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (JCERT) द्वारा वर्ष 2020–21 में क्षेत्रीय भाषा उड़िया के लिए 1468 एवं बंगला के लिए 8069 पाठ्य पुस्तकें निर्मित कर कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों को उपलब्ध कराया गया है तथा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जानकार शिक्षकों को चिन्हित कर संबंधित विद्यालयों में पठन–पाठन का कार्य संचालित किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों में उड़िया भाषा के शिक्षक तथा उड़िया भाषा की पुस्तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>वर्ष, 2016 में माध्यमिक विद्यालयों में उड़िया शिक्षक की नियुक्ति हेतु पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला से प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति की स्थिति निम्नवत् है :–

<table><tr><th>जिला का नाम</th><th>अधियाचना</th><th>अनुशंसा</th><th>नियुक्ति</th></tr><tr><td>पूर्वी सिंहभूम</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>पश्चिमी सिंहभूम</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने पर बल दिया गया है, अतएव् क्रियान्वयन के क्रम में इस दिशा में और भी सार्थक प्रयास संभव हो सकेगा।</td></tr>
</table>

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–69 / 2021 660 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।